प्रारुप–2.2

परियोजना का नाम – राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई–10.00 कि0मी0)

परियेाजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

संलग्न

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

J.E.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली (टि0ग0)

FROM : FAX NO. : 13 Aug. 2013 4:32AM P1

01352530381

1034

संख्या– 790 / III(2)/08–34(प्रा0आ0)/07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक20 मार्च, 2008

विषयः–वित्तीय वर्ष 2007–08 में ... नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार उपलब्ध कराये गये 06 (पॉच) कार्यो के लागत कुल रूपये 947.51 लाख के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 931.10 लाख (रूपये नौ करोड़ इकत्तीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की उनके सम्मुख कॉलम–5 पर अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कॉलम–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित ...

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ... निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरे ... कदापि न किया जाय ...

... से ... करा ली जाय, तथा ...

अस्थाई ... लोक निर्माण विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007-- 08 में व्यय की स्वीकृति
1-	जनपद पौड़ी गढ़वाल में देहलचौरी-पौड़ी हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुये पुनः निर्माण एवं सुधार का कार्य।	12.50	337.50	337.50	0.10
2-	जनपद देहरादून, ग्राम हरवबंशवाला में सीमाद्वार से ऋषिवाणी आश्रम तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण।	1.560	92.43	81.02	0.10
3-	जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत चमियाला-इन्द्रवाणगांव-कागंडा मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	162.00	162.00	0.10
4-	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में मियॉगाड से कुनारा तक मोटर मार्ग निर्माण।	12.00	264.00	264.00	0.10
5-	जनपद उत्तरकाशी में ब्लाक मोरी में 50 से 250 आबादी के बसावटों को जोड़ने हेतु भदरासू रमाल गांव मोटर मार्ग के किमी0 1 में 48 मी0 स्पान का स्टील गर्डर मोटर सेतु तथा किमी0 3 से नितुशा ग्राम तक पैदल मार्ग का निर्माण।		91.58	86.58	0.10
योगः-			947.51	931.10	0.50

(रूपये पचास हजार मात्र)

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

प0सं0 325/20 या0 ब/07 दि0 25/03/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल लो0नि0वि0 पौड़ी,
2. अधीक्षण अभियन्ता 6/8/9/12वॉ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी / टिहरी / देहरादून / पौड़ी
3. बजट कक्ष / प्रविष्टि कक्ष,

24/03/08
मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

FROM :

FAX NO. : 01352530431

13 Aug. 2013 4:33AM P2

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

11. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को सर्मपित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. यदि उक्त कार्य के विपरीत पूर्व में किन्ही अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई है तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-253/XXVII(2)/2008 दिनांक 17 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- 05 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- (1)/ III(2)/08-34(प्रा0आ0)/07तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरी गढ़वाल/पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,